न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 2717/2016
GCMS NO. : 2016/00556

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. चैनाराम पुत्र शंकरजी जाति– बावरी, निवासी– चौकीदारो का बास, सेवरिया दरवाजे के पास रास, तहसील– जैतारण जिला– पाली।		1.चम्पालाल पुत्र मोहनलाल 2.जोदराम पुत्र मोहनलाल 3.महावीर पुत्र नारायणजी 4.दयाल पुत्र नारायण जाति– बावरी, निवासीगण– बावरियो का बास सेवरिया दरवाजे के पास रास, तहसील– जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 अन्तर्गत ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 तथा सेक्शन 151

तारीख रजू:–16.12.2016

उपस्थितः– 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–19/05/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, अन्तर्गत ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 सपठित सैक्शन 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल व उसके भाई श्रवण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा रास में खसरा संख्या 27 रकबा 10–09 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसके सायल खातेदार है तथा खातेदारी की जमीन पर कब्जा काश्त है जिस पर सायल फसल बोता है सायल का कब्जा बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। नकल वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि 10–09 बीघा पर सायल के खेत के चारो और खन्दक लगाकर उस पर कांटो की बाड़ कर रखी है तथा खसरा संख्या 27 की भूमि में तारामीरा, मिर्च व कासमिरे की फसल बो रखी है तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि में बोई गई फसल की रखवाली करने के लिए कच्चे दीवारो से अस्थाई निर्माण कर झोपड़ी बना रखी है जिस पर चद्दर डाले हुए है जिसमें सायल निवास कर फसलो की रखवाली करता है। सायल के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 27 की कृषि भूमि के चारो और सायल द्वारा फसलो की सुरक्षा व कब्जे के लिए लगााई गई खन्दक को तोड़कर गैरसायलान् सायल की फसल को नुकसान पहुंचाने तथा सायल के हक हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा करने के आशय से दिनॉक 24.11.2016 को गैरसायलान ने सायल द्वारा की जा रही काश्त में दखलंदाजी करने व कब्जा करने की कोशिश करने लगे तथा सायल को धमकी दी कि तुम्हारे द्वारा बोई गई फसल को नष्ट कर देगे तुम्हारे रहने के लिए बनाई गई झोपड़ी को तोड़ देगे तथा जमीन पर खन्दक व कांटो की बाड़ तोड़ कर कब्जा कर लेगे जबकि गैरसायलान् को सायल के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:17:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

काश्त की कृषि भूमि पर दखलन्दाजी करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। गैरसायलान जो कि हर समय सायल के साथ लड़ाई झगड़ा करने व सायल कको कब्जे काश्त की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा रहते है जिन्हे कानूनी रूप से रोका जाना अतिआवश्यक है गैरसायलान जो कि संख्या में ज्यादा है सायल के कब्ज काश्त की जमीन पर बोई गई फसल को नष्ट कर कब्जा कर लेते है तो सायल अपने हक अधिकारो से वंचित हो जायेगा सायल को आर्थिक नुकसान कारित होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी। गैरसायलान को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से दखलन्दाजी करने कब्जा करने से रोका जाना कानूनन आवश्यक है। सायल का राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार नाम दर्ज होने लगातार शांतिपूव्रक तरीके से कब्जा होने तथा मौका पर सायल द्वारा फसल बोई हुई होने से व मौके की स्थिति से सायल का बहुत ही मजबूत व प्रथम दृष्टया मामला बखुबी साबित है सायल को अपने हक अधिकारो की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नही होने से तथा गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे न ही किसी से करावे एवं खन्दक को तोड़फोड़ व तारबंदी कांटो की बाड़ को तोड़ने हटाने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद निर्णय तक रोके जाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील नितेश चौहान ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू अनेकानेक एवं अन्तिम से अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने में असफल रहने से जवाब प्रार्थना पत्र में बंद किया जाता है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध वादग्रस्त खातेदारी आराजी ग्राम रास प्रथम के खसरा संख्या 27 रकबा 10–09 बीघा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। जिस पर उसका कब्जा काश्त है। प्रार्थी की आराजी के चारो ओर फसल सुरक्षा हेतू खन्दक लगा रखी है, अप्रार्थीगण द्वारा तोड़कर प्रार्थी की फसल को नुकसान पहुंचाते है तथा जबरन कब्जा करने व फसल को नष्ट करने की धमकी दी है। जिन्हे रोका जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:17:54 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया, प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम रास प्रथम के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। जिसमें अप्रार्थीगण का कोई अधिकार निहित नही हो सकता। खसरा गिरदावरी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर मुंग एवं बाजरी की काश्त किया जाना अंकित है। चूंकि वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी खातेदार के पक्ष में निहित होना साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है, साथ ही प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है एवं खसरा गिरदावरी अनुसार वादग्रस्त आराजी पर मुंग एवं बाजरा की काश्त किया जाना अंकित है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है साथ ही यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अभिलिखित खातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी खातेदार के वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग किसी प्रकार की बेजा दखल कि दशा में अपूर्णीय क्षति प्रार्थी खातेदार को ही होना निश्चित है लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी खातेदार के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा खन्दक आदि खुर्द बुर्द करने से रोकने के लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भॉति साबित होनें एवं सारवान. होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद ग्राम रास प्रथम तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 27 रकबा 10-09 बीघा किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी खातेदार के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, न ही वादग्रस्त आराजी की खन्दक आदि को कोई नुकसान कारित करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 19/05/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:17:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)